

प्रेषक,

डा० बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 28 मार्च, 2018

विषय:- साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य किये जाने सम्बन्धी उ०प्र०
उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-641(2)/86-2018-153(सामान्य)/2017, दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ०प्र० उपखनिज (परिहार) (45वां संशोधन) नियमावली, 2018 को अधिसूचना संख्या-641/86-2018-153(सामान्य)/2017, दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रख्यापित किया गया है। लिपिक त्रुटिवश उक्त शासनादेश के साथ संलग्न नियमावली में प्रख्यापन की तिथि दिनांक 27.03.2018 के स्थान पर दिनांक 23.03.2018 अंकित हो गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ०प्र० उपखनिज (परिहार) (45वां संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन का दिनांक 23.03.2018 के स्थान पर दिनांक 27.03.2018 पढ़ा जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा० बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

(डा० बलकार सिंह)

निदेशक
3.4.18

संख्या-641(4)/86-2018-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
संख्या: 641/88-2018-153(सा0)/2017
लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2018

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018

- सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- प्रथम अनुसूची का संशोधन
- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली 2018 कही जायेगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रथम अनुसूची
(नियम-21 देखिये)

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची
(नियम-21 देखिये)

क्र० स०	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर	क्र० स०	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	चूना पत्थर	रु० 150.00 प्रतिटन या रु० 275.00 प्रति घनमीटर	1	धूना पत्थर	रु० 150.00 प्रतिटन या रु० 275.00 प्रति घनमीटर
2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 206.00 प्रतिटन या रु० 405.00 प्रति घनमीटर	2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 206.00 प्रतिटन या रु० 405.00 प्रति घनमीटर
3	ईट बनाने की मिट्टी	रु० 54 प्रति हजार बनी ईट	3	ईट बनाने की मिट्टी	रु० 54 प्रति हजार बनी ईट
4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशल स्टोन)	
(क)	एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 5000.00 प्रति घनमीटर	(क)	एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 5000.00 प्रति घनमीटर
(ख)	एक मीटर या नीचे के साइज के	रु० 3000.00 प्रति घनमीटर	(ख)	एक मीटर या नीचे के साइज के	रु० 3000.00 प्रति घनमीटर

(संलग्नक संख्या 641/88-2018-153(सा0)/2017)

532

2

(ii) स्लैब्स और अरलर सहित साइज्ड डायमेट्रल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 650.00 प्रति घन मीटर	(ii) स्लैब्स और अरलर सहित साइज्ड डायमेट्रल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 650.00 प्रति घन मीटर
(iii) मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मीटर	(iii) मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मीटर
(iv) खण्डास और बोल्टर		(iv) खण्डास और बोल्टर	
(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी० तक घनमीटर	रु० 125.00 प्रति घनमीटर	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी० तक घनमीटर	रु० 125.00 प्रति घनमीटर
(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25X25X25) सेमी० तक साइज्ड का	रु० 100.00 प्रति घनमीटर	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25X25X25) सेमी० तक साइज्ड का	रु० 100.00 प्रति घनमीटर
(v) बैलास्ट (गिट्टी)		(v) बैलास्ट (गिट्टी)	
(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु० 160.00 प्रति घनमीटर	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु० 160.00 प्रति घनमीटर
(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 110.00 प्रति घनमीटर	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 110.00 प्रति घनमीटर
(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100.00 प्रति घनमीटर	(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100.00 प्रति घनमीटर
5. मौरम		5. मौरम	
(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 150.00 प्रतिघन मीटर	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 150.00 प्रतिघन मीटर
(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रु० 75.00 प्रतिघन मीटर	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रु० 75.00 प्रतिघन मीटर
6. साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से निम्न)		6. साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से निम्न)	
(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 65.00 प्रति घनमीटर	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 65.00 प्रति घनमीटर
(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 55.00 प्रति घनमीटर	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 55.00 प्रति घनमीटर
7. बजरी (सिगिल)	रु० 110.00 प्रति घनमीटर	7. बजरी (सिगिल)	रु० 110.00 प्रति घनमीटर
8. साधारण मृदा (आरडिनरी बले) अथवा साधारण गिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रु० 30.00 प्रति घनमीटर	8. साधारण मृदा (आरडिनरी बले) अथवा साधारण गिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रु० 00.00 प्रति घनमीटर
9. पायरोफिलाइट	रु० 300.00 प्रति टन	9. पायरोफिलाइट	रु० 300.00 प्रति टन
10. डायस्पोर	रु० 500.00 प्रति टन	10. डायस्पोर	रु० 500.00 प्रति टन

537

11. सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन	11. सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन
12. चाइना क्ले	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत	12. चाइना क्ले	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
13. कैलसाइड	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत	13. कैलसाइड	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
14. क्वार्टज	रु0 100.00 प्रति टन	14. क्वार्टज	रु0 100.00 प्रति टन
15. कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15. कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।